

पी.आई संख्या /17/2016

दिनांक : 31.05.2016

समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश ,

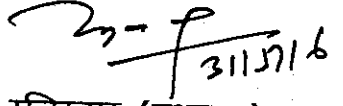
विषय :- न्यायिक कर्मचारियों को गणवेश बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प. 26(20)न्याय/2015 दिनांक 29.02.2016 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 1022/1989 एवं आई. ए. संख्या 297/2012 ऑल इण्डिया जजेस एसोसियेशन व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिये गये निर्णय की पालना में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति के अन्तर्गत राज्यापाल महोदय की आज्ञा से न्यायिक कर्मचारियों को वर्दी भत्ता अनुज्ञात किया गया है (प्रति संलग्न है)

संबंधित न्यायिक कर्मचारियों हेतु निम्न गणवेश (Dress) निर्धारित की जाती है :-

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Readers & Stenographers | - | White Shirt and Black trousers,
Black Tie and Black Coat |
| 2. Jamadar | - | White Achakan & trousers with
Red Chunri Safa & Belt |
| 3. Class-IV & Process Server
& Bailiffs | - | white shirt and trousers |
| 4. Driver | - | Navy Blue Shirt & trousers |

अतः आप उक्त न्यायिक कर्मचारियों को गणवेश भत्ता स्वीकृत कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें एवं उक्त कर्मचारियों की उक्त गणवेश में उपस्थिति सुनिश्चित करें ।


रजिस्ट्रार (प्रशासन)

राजस्थान-सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.26(20)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 29.02.2016

:: आज्ञा ::

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 1022/1989 एवं आई.ए. संख्या 297/2012 ऑल इण्डिया जज्जस एसोसियेशन व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिये गये निर्णय की प्रालना में वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय की आज्ञा से न्यायिक कर्मचारियों को अधोवर्णित अनुसार वर्दी भत्ता अनुज्ञात किया जाता है:-

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, प्रोसेस सर्वरस, बेलिफ्स को प्रति दो वर्ष में 3600/- रु.
2. स्टैनोग्राफर व रीडर्स को प्रति दो वर्ष में 4500/-रु.

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101600674 दिनांक 29.02.2016 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

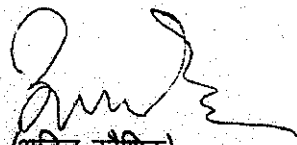
राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

29.2.16

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव विधि/वित्त/मंत्रिमण्डल सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
8. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
9. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


(अनिल कौशिक)
29/02/16
संयुक्त शासन सचिव